

ग्राम कार्य सोचना (पृ. १०८)

अनुदान—५ रु

जल सम्पदी हुन सभी समितियों की वकालत जनना जो ग्राम समुदाय की जीवन सुरक्षा को बेहतर बनाने में महत्व प्रदानी है। (ग्राम वकालत और/या इसकी उप-समिति, जर्वांट-सी, डब्ल्यूएस.सी./ यानी समिति/प्रयोक्ता समूह और इसकी विचार की जानी है और डब्ल्यूएस.एन की प्रस्तुति किए जाने से पहले ग्राम वकालत में अनुसंधान की जानी है। आईएसए इसका वार्षिक वर्षन सहायता प्रदान की जानी है।)

१. ग्रामीणी की लारीया \_\_\_\_\_ १००—१०५

ग्राम सभा में अनुसंधान की लारीया \_\_\_\_\_ १००—१०५

डब्ल्यूएस.एन की प्रस्तुति किए जाने की लारीया \_\_\_\_\_

ग्राम का नाम \_\_\_\_\_

ग्राम वकालत का नाम \_\_\_\_\_

समिक्षा का नाम \_\_\_\_\_

वित्ती का नाम \_\_\_\_\_

राज्य का नाम \_\_\_\_\_ उत्तर प्रदेश

ग्राम जनसंख्या छोड़ \_\_\_\_\_ १११०५७

दि लागू हो टो समितियों की संख्या और उनके नाम)

ग्राम वकालत संकलन

ग्राम समुदाय की जारीका \_\_\_\_\_ ०८ (संख्या) समेती कुठो को और \_\_\_\_\_ (संख्या) कम्हे जोने / स्नान लेने के लिए जल जारीति करने सहित प्रतिदिन नियन्ति लक्ष्यार पर जर्वांट ८०० घन्टे निर्धारित करता जाते \_\_\_\_\_ ८०० लस की सीधी जल की जारीति घर \_\_\_\_\_ २५५ टक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एक एक दी सीधी प्रदान करना।

हुन ग्राम समुदाय के लिए जपनी जल ग्राम जल जारीति अवसंरक्षण के अवनत्य प्रबंधन प्रधालन और रख-रखाव की लिम्नोदारी सेते हैं। हम जपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी जल करेंगे और संदूषित नहीं करेंगे। हम जपने गढ़ते जल की अवस्था करेंगे और जपने नीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकलन लिया जाता है कि पूरी लागत का \_\_\_\_\_ १०.५ प्रधालन और रख-रखाव लागत के लिए लिस्टे का भुगतान किया जाएगा और जल जारीति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

ग्राम वकालत और/या इसकी उप-समिति, जर्वांट डब्ल्यूएस.सी./ यानी समिति, प्रयोक्ता समूह का विकास

न ही समिति गीद में जल जारीति योजना की जायेगी, कार्यालयन, प्रबंधन, प्रधालन और रख-रखाव संकलन करेगी।

प्रधालन और/या इसकी उप-समिति) \_\_\_\_\_ (जल प्रधालन समिति) समिति को

जाहा योग्यता है \_\_\_\_\_ ०८

का नाम \_\_\_\_\_ उत्तर प्रदेश

०८

सदस्य का नाम

लिंग

आयु

महिला \_\_\_\_\_

५८

५५

महिला \_\_\_\_\_

५८

५५

महिला \_\_\_\_\_

५८

५५

५८

५५

उत्तर प्रदेश

ग्राम जल समिति

## III सामाजिक विवरण

६

७०११ की जनसंख्या के अनुसार  
जनसंख्या ..... ३१७५४  
परिवारों की संख्या ..... ७३१  
भौतिकों की संख्या ..... ५३१  
पुरुषों की संख्या .....  
महिलाओं की संख्या .....  
एफ.एच.टी.सी. की संख्या .....  
७. जनसंख्या अनुमान

परिवार पर्याप्त / अपर्याप्ति रिकॉर्ड के अनुसार  
परिवार जनसंख्या ..... १५६०  
परिवारों की संख्या ..... १५५०  
भौतिकों की संख्या .....  
पुरुषों की संख्या .....  
महिलाओं की संख्या .....  
एफ.एच.टी.सी. की संख्या ..... १०५०

मध्यवर्ती जनसंख्या-वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान में 10% बढ़िया) ..... किलोमीटर / दिन (के.एल.डी.) अन्तिम

जनसंख्या-वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% बढ़िया) ..... किलोमीटर / दिन(के.एल.डी.)

८. पर्यावरण गवेषी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड) .....

९. कृषि फसल पैदल.....

खरीफ

सबी

गेहूँ

चान

भज्जा

कम्पास

मौसूल

अन्य

१०. औसत जिला वर्षा (मि.मी. गे) ..... ५५. ३३

११. स्थानानुसारी (समाज, छलान आदि) ..... २८५५५८

## IV. स्थिति विव्लेषण

१२. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)

(प्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)

१३. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)

(प्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)

१४.

क्रमसंख्या	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी. श्रोत उपलब्ध है?	क्या वर्षा जल संचयन संचरना उपलब्ध है?	सोखा गढ़ों की उपलब्धता है?
१.	स्कूल	✓	✓	✓
२.	आगनवाली	✓	✓	✓
३.	स्वास्थ्य केन्द्र	✓	✓	✓
४.	ग्राम पंचायत भवन	✓		✓
५.	अन्य	✓		✓

पानी की कुल ऐनिक आवधकता

15. पानी की दर्तमान आवधकता जनसंख्या X दर..... के एल.डी.

मधेशियों के लिए पानी की दर्तमान आवधकता..... के एल.डी.

मधेशी कुंडो की आवधक संख्या.....

मधेशी चरण के लिए पानी की आवधकता जनसंख्या X दर..... के एल.डी.

अन्तिम चरण के लिए पानी की आवधकता जनसंख्या X ( दर..... के एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति / उपलब्धता का इतिवृत्त सूखा / अकाल / घटक्षात / बाढ़ या किसी अन्य

प्राकृतिक आपदा का पैटर्न पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति

18. पानी की आपूर्ति से सम्बन्धित आंशिक कार्य स्रोत का मजबूत करने का इतिवृत्त

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की घौकसी के लिए

अभिनिर्धारित तारीखें १९-१-२५

21. सैनिकी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख १९-१-२५

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा / प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की

गुणवत्ता

स्रोत का नाम (अवस्थिति)

.....

मापदंड	तरीका	परिणाम
गंदगी	दृष्ट तुलना	०.६
पीएच	पट्टी रंग तुलना	७.२०
पूर्ण लवणता	टिट्रीमेट्रिक विधि	१६५
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रीमेट्रिक विधि	१५०
वलोराइट	टिट्रीमेट्रिक विधि	५०
अमोनिया	दृष्ट रंग तुलना	✗
फास्फेट	दृष्ट रंग तुलना	०.०
अवशिष्ट वलोरीन	दृष्ट रंग तुलना	०.३०
आयरन	दृष्ट रंग तुलना	०.०
नाइट्रोट	दृष्ट रंग तुलना	०.०
फलोराइट	दृष्ट रंग तुलना	✗
आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में)	दृष्ट रंग तुलना	✗

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गांव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने और / या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने / स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराये जाने हैं.....

आगामी प्रभात ५ जून 2018

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरबेल रिचार्ज संरचना है? (हॉ/नहीं)
25. गांव में उन सामुदायिक जल भंडारों की सूची जिनका कार्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है गंदला जल का प्रबंधन
26. उत्तर गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%) ..... को.एल.डी.

अलग—अगल सौख्या गड़ों वाले परिवारों की संख्या.....

उन परिवारों की संख्या जिन्हे सौख्या गड़ों की आवश्यकता है.....

आवश्यक सामुदायिक सौख्या गड़ों की संख्या.....

क्या अपविष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हॉ/नहीं)

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है.....

यदि नहीं तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

#### V . जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस क्षेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे

○ अन्तिम छोर तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यूपी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग

○ पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू एस. को रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके

○ निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जलसिंग वाटर/स्थानीय या घरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.

○ वाटर ग्रिड क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.

○ मिनी चौर लर्जा आधारित पी.डब्ल्यूएस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित है।

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत ..... तकनीकी—आर्थिक और सामाजिक—आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना.....

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि.....

वह दारीख जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यूएस. विभाग को सौंप दी जाएगी.....

योजना की लागत..... भारत सरकार का हिस्सा..... राज्य का हिस्सा.....

समुदाय का हिस्सा..... व्यक्तिगत घरेलू अंशदान.....

वार्षिक प्रचलन व रख-रखव शुल्क..... व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क.....

कोई दूरस्थ बस्तावट हो तो अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू एस.....

- VI. मेल—जोल (निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल—जोल संनद है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के — अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।

29.—

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य करकार का विभाग	संभावित गतिविधियों जो शुरू की जा सकती है।	प्रस्तावित निधि
चौदाहर्या वित आदोग	ग्राम पंचायत	ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट ड्रेनेज सिस्टम आदि।	
स्वच्छ भारत नियन्त्रण-ग्रामीण (एन.वी.एन.जी.एस.)	पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय	ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट सौख्या गढ़े (व्यक्तिगत/सामुदायिक अपविष्ट तलछट तालाब आदि)	
एन.जी.एन.आर.ई.जी.एस.	ग्रामीण दिकास मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधन प्रदान (एन.आ.एम.) घटग के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियां	ग्राम पंचायत नियन्त्रण-ग्रामीण विभाग जल संरक्षण

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य करकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुल्क की जा सकती हैं	प्रस्तावित नियम
एकीकृत बाटरशोड प्रबन्धन कार्यक्रम (आर.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संरक्षण विभाग	बाटरशोड प्रबन्धन/आर.डब्ल्यू.एम.पी./कृषि पुनर्वर्ण, जल निकासी का विषय/दुक्ति आदि।	
जल भंडारी की मरम्मत नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संरक्षण, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारी का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.पी.वाई.)	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण	बाटरशोड से सम्बन्धित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूख—सिंचाई का प्रावधान एकीकरण से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक नवीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और उद्यमिता मंत्रालय	नवीकरणवर्त वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन बॉटरशोड विकास आदि	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एम. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आदि।	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकाशी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकादीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	संखियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अतः ग्राम अवसंरचना	
एम.एम.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अतः ग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अतः ग्राम अवसंरचना	
जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)			
दानदाता/प्रायोजक			

द्वितीय ५५ मंडी  
प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया अवसंरचना  
प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया अवसंरचना

आई.एरा.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो) .....

### संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू. एस.सी./पानी समिति, प्रयोक्तात् समूह आदि का अध्यक्ष—

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर—

जमीनी तकनीषियन का नाम और फोन नंबर—

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिष्ठित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. जलीता देवी → ७७५७३५६७१०
2. गुड़ी → ८५२३३९४९१८
3. रीता → ८५२३०७७४६३
4. एमा → ९५२०२३६०३८
- 5.

पाय आपरेटर का नाम और फोन नंबर:

मोटर अंडीनिल	निनो शुभर अप्पु कुलार	७२७२१७६३८ ८७५००३१३६७
पलम्बर	निनू कुलार अम्बु पवार	७३१०८३१६०९ ७४५२८८०४६१
मिट्टर	निनू आरफ	८०६५९५८००२ ८४३०५२३६५८
इलेक्ट्रिसिल	सुमित शाहनुगर	८२९१७७७९६० ९६९०३५७७८३
पाप्पुजापरेटर	पाप्पु जापाल	८८९५९५२०९३ ८७५६४६२६६८
राजुलिला	मुहरवान सत्तंद्र हरदास	८५००७००४०९ ८३१०८३१०८९

प्रधान  
गाम